न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 49/18 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2018/00184

उनवान

1. भगवानदास पुत्र श्री नत्थी जाति माली निवासी किशनपुरा तहसील नगर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. होती
2. केशव
3. जगदीश
4. प्रेमवती

पिसरान नत्थी जाति माली निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील नगर जिला भरतपुर।

5. मैनेजर बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सीकरी।
6. तहसीलदार नगर जिला डीग।
7. नायब तहसीलदार/सब रजिस्ट्रार सीकरी।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी नगर दिनांक 26.06.2018 उनवान भगवानदास बनाम होती मु0न0 74/15

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री हरीकृष्ण शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री समय सिंह उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 26.12.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर के आदेश दिनांक 26.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी के प्रार्थी अपीलाण्ट एवं अप्रार्थी रैस्पो0 सहखातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। वर्तमान में सम्मिलित रूप से काश्त करने में विवाद उत्पन्न होता है। अतः मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

प्रस्तुत करते हुये, अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी थी। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का दावा है। उभयपक्षकारान सभी विवादित आराजी में सहखातेदार काश्तकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय में दोनों पक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में सहमत रहे हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपीलाधीन आदेश से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को खारिज करते हुये, ताफैसला दावा विवादित आराजी की सुरक्षा हेतु यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में ताफैसला दावा, उभयपक्ष को विवादित आराजी के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में सहमति व्यक्त की गयी।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। दौराने बहस उभयपक्ष ने मूल वाद के निस्तारण होने तक विवादित आराजी की सुरक्षा हेतु राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की सहमति व्यक्त की गयी है। वैसे भी दौराने वाद विवादित आराजी की सुरक्षा हेतु स्थगन निरापद होता है। अतः उभयपक्ष की सहमति एवं वाद बहुलयता रोकने के लिये हम अपीलाधीन आदेश में वर्णित विवादित आराजी की मूल दावे के निस्तारण तक उभयपक्ष को रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्दी आयद करना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2018 अपास्त किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 26.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

26/12/2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर